हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद संख्या 116/2021 अनवान सरपंच ग्राम पंचायत जालीपा बनाम तहसीलदार बाड़मेर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामी मे जारी हुए
28.10.2021	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय जालीपा पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 28.10.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, जालीपा पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र जालीपा पर पत्रावली पेश हो। (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय जालीपा, राजीव गांधी सेवा केन्द्र जालीपा पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी ने भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 के तहत् प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रकरण मे तहसीलदार बाड़मेर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा फर्द मौका बनाकर प्रस्तुत की गई। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार मौजा जालीपा तहसील बाड़मेर के खसरा नंबर 129 रकबा 17.08 बीघा भूमि की मौका जॉच करने हेतु मय निरीक्षक भू.अ.जालीपा व हल्का पटवारी जालीपा के मौके पर पहूँचा। रेकर्ड का अवलोकन पर पाया गया कि वक्त सैटलमेंट में ग्राम जालीपा के खाता संख्या 1 में 2(क) केवल चारागाह प्रयोजन के लिए उपलब्ध भूमि– (1) झाड–झखाड़ वाले वन में बिला कब्जा गै.मु. मगरा के रूप में खसरा नंबर 129 रकबा 17.08 बीघा दर्ज हुई थी तद्नुसार वर्तमान जमाबंदी में भी झाड–झखाड़ वाले वन (चरागाह हेतु) अंकित है। मजमेआम में पुछताछ करने पर बताया गया कि खसरा नंबर 129 रकबा 17.08 बीघा भूमि वक्त सैटलमेंट से आज दिन तक आबादी भूमि के रूप में प्रयुक्त हो रही है जिसमें पुरानी ढ़ाणियां व लोग बसे हुए है जो वक्त सैटलमेंट से आज दिन तक निर्बाध रूप से निवास करते आ रहे है। इसके बीच मे खसरा नंबर 128 रकबा 5.14 बीघा किस्म गै.मु. ढ़ाणी के रूप में दर्ज है जो आवासीय श्रेणी में आती है। खसरा नंबर 129 की भूमि कभी भी चारागाह के रूप प्रयुक्त नहीं हुआ है। वक्त सैटलमेंट से पहले व सैटलमेंट के समय भी खसरा नंबर 129 की भूमि चारागाह हेतु प्रयोग में नही आती थी। वक्त सैटलमेंट में अधिकारियों द्वारा मानवीय भूंल से यह चारागाह के रूप में दर्ज हो गई। जिसको आबादी के रूप में शुद्व किया जाना सही है। आबादी बसी हुई है। कई पुराने मकान, रहवासी कच्ची व पक्की ढ़ाणियां बनी हुई है। अतः खसरा नंबर 129 रकबा 17.08 बीघा को गै.मु. आबादी के रूप में अथवा चारागाह हेतु अनुपयुक्त के रूप में शुद्व किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट के आधार पर आवेदन स्वीकार कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 के तहत् प्रकरण मे ग्राम जालीपा तहसील बाड़मेर के खसरा नंबर 129 रकबा 17.08 बीघा को चारागाह हेतु अनुपयुक्त के रूप में दुरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेश अलग से जारी किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर	